

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 133/2022

प्रार्थी-

आईसीआईसीआई बैंक
लिमिटेड 2सी मधुबनी, मधुबन,
उदयपुर 313001

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. जगा राम पुत्र चेला राम निवासी
मेघवाली की जूनी वास, समदड़ी
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. चेला राम पुत्र केशा राम निवासी
मेघवाली की जूनी वास, जटियाने का
वास, समदड़ी तहसील सिवाना जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

1. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 23.11.2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों
का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002
के तहत अप्रार्थीगण जग राम व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय
कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण जग राम व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत
जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 5,76,869/- रुपये का ऋण
स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी(गण) ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति
की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि
एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया।
अप्रार्थी(गण) सं. 1 से 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व



102
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा चेला राम के स्वामित्व की भूमि व निर्माण पट्टा संख्या 245 बुक संख्या 5 मिसल संख्या 460/2010 ग्राम पंचायत समदड़ी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर बनाप 1638 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 08.10.2016 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थी(गण) द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.10.2019 तक बकाया शेष रूपये 6,13,701/- भुगतान नहीं करने पर अप्रार्थी(गण) का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी(गण) के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी(गण) के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थी(गण) को राशि रूपये 5,76,869/- ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थी(गण) बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी है एवं अप्रार्थी(गण) से दिनांक 31.10.2019 तक कुल 6,13,701/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थी(गण) को पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया जाकर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक) के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया है कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को



जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थी(गण) को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी(गण) द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी(गण) 1 से 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त सम्पत्ति "चेला राम के स्वामित्व की भूमि व निर्माण पट्टा संख्या 245 बुक संख्या 5 मिसल संख्या 460/2010 ग्राम पंचायत समदड़ी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर बनाप 1638 वर्गफीट" का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर